दो रुपये TWO RUPEES | एक रुपया ONE RUPEE | चार रुपये FOUR RUPEES | पचास पैसे 50 PAISE

115

-1-

C.R. 750

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /92 पुनरीक्षण

1. अमरसिंह
2. करतारसिंह
3. डोंगरसिंह
4. लाखनसिंह पुत्रगण भगवत
5. अमरसिंह पुत्र नारायण
सभी जाति लोहपीटा (चौहान) निवासीगण एम०एस०रोड बगिया पहाड़गढ़ चौराहा कस्बा कैलारस, तहसील कैलारस, जिला- मुरैना

विरुद्ध

1. तेजसिंह पुत्र मनोहर
2. रामदयाल पुत्र मनोहर
3. अजुद्धीपुत्री मनोहर
4. सुखचन्द
5. रामलाल
6. शंकरलाल
7. रमेशचन्द पुत्रगण भंगीलिया
सभी जाति कोली (शाक्य) निवासीगण
गांधी गालव गली कस्बा कैलारस, तहसील-कैलारस, जिला - मुरैना

RS/4-2/R/142/93
श्री सत्यनारायण बाजपेयी 7.6.93
अभिभाषक, द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत.
7.6.93
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त [illegible] चंबल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/91-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-93 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालयो के आदेश अवैध एवं विचाराधिकार हीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, प्रकरण मे विवादित भूमि संयुक्त खाते की है. समस्त सह भूमिस्वामियों को पक्षकार बनाये बिना मुल आवेदन विचार योग्य ही नही था.

3. यह कि, आवेदकगण का विवादित भूमि पर लगभग 21 वर्ष पुराना वास्तविक आधिपत्य है यह आधिपत्य पक्के मकानों तथा निवास योग्य झोपड़ियो के रूप में है. विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अंकित हो चुकी थी. ऐसी परिस्थिति में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन विचार योग्य नही था.

[illegible] 7.6.93

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – आर.एन./4–2/आर/142/93 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 160/91–92/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–1–93 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय में अनावेदकों द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम कैलारस स्थित भूमि सर्वे नं. 206 रकबा 15 विस्वा में से 6 विस्तार उसके स्वामित्व की है, जिस पर आवेदकों द्वारा गाडियां आदि रखकर बल पूर्व आधिपतय कर लिया है अतः कब्जा हटाया जाये । इस आवेदन पर से तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर संहिता की धारा 250 के तहत आवेदकों को विवादित भूमि से कब्जा हटाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय ने आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है । विवादित भूमि संयुक्त खाते का एक भाग है । आवेदकों का प्रश्नाधीन	

प्र.क्र. आर.एन./4-2/निग/142/93

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि पर पुराना आधिपत्य है, जिस पर उनके मकान बने हैं । ऐसी स्थिति में अनावेदकों द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किये गये हैं, जो विधिसम्मत न होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । 4/ अनावेदक क्रमांक 2, 4 एवं 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालयों ने कोई त्रुटि नहीं की है । यह भी कहा गया कि तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है जो अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना करते हुए यह पाा है कि अनावेदकों को दो वर्ष की समयावधि में आवेदकों को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने का आवेदन दिया गया था अतः उसमें संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू होते हैं । उन्होंने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह पाया है कि आवेदकों द्वारा जबरन अनावेदकों की भूमि पर गाड़ियां इत्यादि रखकर कब्जा किया गया है । उन्होंने यह भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदकों ने विवादित भूमि को खरीदकर काबिज होने की बात कही है परंतु इस संबंध में कोई पंजीबद्ध या सादा विक्रयपत्र पेश नहीं कियागया है और उक्त आधारों पर उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – आर.एन./4–2/आर/142/93 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेशों को त्रुटिपूर्ण न पाए जाने से उन्हें स्थिर रखा गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और विधिसम्मत है। अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	